

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 14 अक्टूबर, 2013

विषय: शिवालिक गंगेज पब्लिक स्कूल भगवानपुर, हरिद्वार को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिवालिक गंगेज पब्लिक स्कूल भगवानपुर, हरिद्वार को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली को सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।


(ख) विद्यालय की फजीकरण सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।


(ग) विद्यालय प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होना चाहिए।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।


Principal


PRINCIPAL
SHIVALIK GANGES PUBLIC SCHOOL
ANPLIR ROAD, BHAGWANPUR

Manager

(छ)विद्यालय/संस्था के कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज)राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ)विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट)उक्त शर्तों में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3. संस्था द्वारा उक्त विद्यालय में कक्षा-कक्ष मानकानुसार माप के निर्मित किये जायेंगे तथा मानकानुसार शुल्क में वृद्धि की जायेगी।

4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोजित कमजोर एवं अपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी संस्था द्वारा पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जबाब देयी/उत्तरदायित्व कमशः निदेशक एवं नियन्त्रक/मुख्य शिक्षा अधिकारी की होगी तथा सम्बन्धित संस्था की अनापत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

6. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE(Unified District Information System In Education) में सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

7. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)

उप सचिव।


पृष्ठांक संख्या: / 582/ xxiv-3 / 13 / 01(38)13तददिनांक


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1)निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2)जिलाधिकारी हरिद्वार।
- (3)अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- (4)मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
- (5)प्रधानाचार्य, शिवालिक गंगेज पब्लिक स्कूल भगवानपुर, हरिद्वार।
- (6)गार्ड फाइल

आज्ञा से,


(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।


Shivalik Ganges Public School
Manager


PRINCIPAL
SHIVALIK GANGES PUBLIC SCHOOL
KHANPUR ROAD, BHAGWANPUR